

कार्यालय, नगरीय निकाय निदेशालय

प्लाट नं०-१८, सेक्टर-७, गोमती नगर विस्तार योजना, लखनऊ

e-mail: chiefengineerudd@gmail.com, website: www.localbodies.co.in

पत्र संख्या— ५६२ /२/OM&M Cell / 2022-23

दिनांक: ०२ दिसम्बर, 2022

सेवा में

- १ प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० जल निगम (नगरीय),
लखनऊ।
- ३ निदेशक,
नगरीय निकाय, निदेशालय,
लखनऊ।

२. सदस्य सचिव,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।
४. सहायक निदेशक, लेखा,
नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०,
लखनऊ।

महोदय/महोदया,

नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या—शासनादेश संख्या—५४८३/नौ—५—२०१७— ४४७सा/२०१७ दिनांक १२.०२.२०१८ द्वारा कुल ०४ जोन— लखनऊ, गोरखपुर (गोरखपुर, अयोध्या), आगरा एवं गाजियाबाद (गाजियाबाद, पिलखुआ, लोनी, अनूपशहर, बिजनौर, रामपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर) हेतु वन सिटी—वन आपरेटर सिद्धान्त पर सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस.टी.पी.) व इससे जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के दीर्घकालिक (१० वर्ष) के संचालन, रख-रखाव एवं प्रबन्धन की व्यवस्था की गयी है।

२. उक्त कार्य के लिए आबद्ध फर्म को कार्य/सेवाओं के सापेक्ष प्रस्तुत Payment Certificate/Bill के भुगतान एवं सैटेलमेन्ट की संस्तुति हेतु शासनादेश संख्या—५०४/नौ—५—२०२०—३९४सा/२०१८ दिनांक ०३.०२.२०२० द्वारा निम्नानुसार समिति गठित की गयी है।

१	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन	अध्यक्ष
२	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ	सदस्य
३	निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
४	मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) अभियन्त्रण सेवा, उ०प्र०	सदस्य—सचिव
५	सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ	सदस्य
६	उप/सहायक निदेशक, लेखा, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
३.	लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा एवं गोरखपुर जोन के लिए एजेंडा के अनुसार फर्म द्वारा कराये गये कार्यों एवं प्रदान की गयी सेवाओं के सापेक्ष प्राप्त बिलों पर निर्णय लेने हेतु उपरोक्तानुसार गठित समिति की बैठक प्रमुख सचिव, नगर विकास, की अध्यक्षता में दिनांक २२.११.२०२२ को अपराह्न ०३:०० बजे स्थानीय निकाय निदेशालय के पंचम तल पर स्थित सभागार में सम्पन्न हुई जिसका कार्यवृत्त संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।	

भवदीय,

(राजवीर सिंह)

मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव

प्रतिलिपि—

१. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन, को महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
२. विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग—९, उ०प्र० लखनऊ।
३. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ/आगरा/अयोध्या/गोरखपुर/गाजियाबाद/मेरठ/सहारनपुर।
४. इ० एच०क० कंसल, मुख्य अभियन्ता, प्रधान कार्यालय—उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
५. मुख्य अभियन्ता (नागर/विधायिका) प्रधान कार्यालय—उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
६. मुख्य अभियन्ता (लखनऊ/आगरा/गाजियाबाद/गोरखपुर क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ/आगरा/गाजियाबाद/गोरखपुर।
७. महाप्रबन्धक, गोमती/यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ/आगरा/गाजियाबाद।
८. अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, गोरखपुर एवं अयोध्या।
९. महाप्रबन्धक, जल कल विभाग (नगर निगम), लखनऊ/आगरा/गाजियाबाद/गोरखपुर/अयोध्या/मेरठ एवं सहारनपुर।
१०. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लोनी/बिजनौर/रामपुर/अनूपशहर/पिलखुआ व मुजफ्फरनगर।
११. सम्बन्धित फर्म।

संख्या : ४६२१२०८८१ (८१) २२-२३
दिनांक : ०२, अक्टूबर, २०२२

प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में एस०टी०पी० व इससे सम्बंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के 10 वर्षीय दीर्घकालिक रख-रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य (Package- 4 Lucknow Zone, Package- 6 Agra Zone, Package-8 Ghaziabad Zone, Package-5 Gorakhpur Zone) की दिनांक 22.11.2022 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उत्तर प्रदेश में स्थापित एस०टी०पी० व इससे सम्बंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के 10 वर्षीय दीर्घकालिक रख-रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य (Package- 4 Lucknow Zone, Package- 6 Agra Zone, Package-8 Ghaziabad Zone, Package-5 Gorakhpur Zone) हेतु नगर विकास अनुभाग-५ के शासनादेश सं०-२३१९/नौ-५-२०१९-३९४सा/२०१८ दिनांक 11.06.2019 द्वारा निविदा की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, तदनुसार सम्बन्धित फर्मों के साथ अनुबन्ध सम्पादित किया गया। शासनादेश संख्या-८४९/नौ-९-१९-८९ज/२००१ दिनांक 18 जुलाई, 2019 द्वारा मूल बजट रु० 250.00 करोड़ एवं शासनादेश संख्या-२७४८/नौ-९-२०-८९ज/२००१, दिनांक 30.12.2020 द्वारा पुनरीक्षित बजट रु० 350.00 करोड़ प्रतिवर्ष एस.टी.पी. के संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबन्धन की व्यवस्था की गयी हैं। उ०प्र० जल निगम को उक्त कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने पर निर्णय लेने हेतु नगर विकास अनुभाग-५ के शासनादेश सं०-५०४/नौ-५-२०२० -३९४सा/२०१८ दिनांक 03.02.2020 द्वारा समिति गठित की हैं।

समिति की बैठक प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में **दिनांक 22.11.2022 को अपराह्न ०३:०० बजे सम्पन्न हुई।** बैठक में सदस्यों/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, जल कल विभाग, नगर निगम तथा उत्तर प्रदेश जल निगम के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

सदस्य सचिव द्वारा समिति के समक्ष बैठक में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया एवम् एजेण्डा के अनुसार बिन्दुवार प्रस्तुतीकरण किया गया। समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डावार संस्तुति व तत्क्रम में दिये गये निर्देश निम्नवत् हैं:-

एजेण्डा सं०	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश										
१/ गाजिया बाद	<p>ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा की गयी मूल संस्तुति के क्रम में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि माह सितम्बर-२०२२ व अक्टूबर-२०२२ का बिल ओ०एम०एण्ड एम० सेल को क्रमशः दिनांक 07.11.2022 व दिनांक 21.11.2022 को उपलब्ध कराया गया है। माह सितम्बर-२०२२ के बिल का परीक्षण ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा किया जा चुका है जिसका ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुति के अनुसार भुगतान तथा अक्टूबर-२०२२ के बिल का अनुबंध के सेक्शन-VI कलॉन-६.६ के अनुसार ७५ प्रतिशत भुगतान करने का अनुरोध किया गया, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सहमति दी गयी।</p> <p>ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संशोधित संस्तुति निम्नवत् है:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. स.</th> <th>पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल का विवरण</th> <th>31st Payment Certificate / Bill Amount – June-2022 (Balance Amount)</th> <th>32nd Payment Certificate / Bill Amount – July-2022</th> <th>33rd Payment Certificate / Bill Amount – August-2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-</td> <td>पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि</td> <td>15818312.02</td> <td>59511289.75</td> <td>68094455.43</td> </tr> </tbody> </table>	क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल का विवरण	31st Payment Certificate / Bill Amount – June-2022 (Balance Amount)	32nd Payment Certificate / Bill Amount – July-2022	33rd Payment Certificate / Bill Amount – August-2022	1-	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	15818312.02	59511289.75	68094455.43	<p>समिति द्वारा धनावंटन की संस्तुति तथा मुख्य अभियन्ता (गा०क्ष०), उ०प्र० जल निगम (नगरीय)/सम्बंधित नगर आयुक्त/महाप्रबन्धक, जलकल/अधिशासी अधिकारी को अनुबंध के अनुरूप एवम् नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।</p>
क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल का विवरण	31st Payment Certificate / Bill Amount – June-2022 (Balance Amount)	32nd Payment Certificate / Bill Amount – July-2022	33rd Payment Certificate / Bill Amount – August-2022								
1-	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	15818312.02	59511289.75	68094455.43								

एजेंडा सं	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना				समिति द्वारा दिये गये निर्देश																																																
2-	जी.एस.टी. (12%&18%)	1898197.44	8846011.43	12257001.98																																																	
3-	फ्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	0.00	1219683.00	983751.00																																																	
4-	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज/सुपरवीजन चार्जस (10%)	1581831.21	5951128.97	6809445.54																																																	
5-	योग (1+2+3+4)	1,92,98,340.67	7,55,28,113.15	8,81,44,653.95																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. स.</th><th>पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण</th><th>34th Payment Certificate / Bill Amount – Sept-2022</th><th>35th Payment Certificate / Bill Amount – Oct-2022 (Adhoc Payment)</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-</td><td>पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि</td><td>73336402.31</td><td>47503514.75</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2-</td><td>जी.एस.टी. (12%&18%)</td><td>13200552.42</td><td>8550632.65</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3-</td><td>फ्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)</td><td>1142494.00</td><td>369712.00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>4-</td><td>उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज/सुपरवीजन चार्जस (10%)</td><td>7333640.23</td><td>4750351.47</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>5-</td><td>योग (1+2+3+4)</td><td>9,50,13,088.96</td><td>6,11,74,210.87</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>6-</td><td>उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि</td><td colspan="2">33,91,58,407.61</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>7-</td><td>आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्रो एकाउंट में प्रबन्ध निवेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण</td><td colspan="2">2,60,71,383.56</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	34 th Payment Certificate / Bill Amount – Sept-2022	35 th Payment Certificate / Bill Amount – Oct-2022 (Adhoc Payment)			1-	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	73336402.31	47503514.75			2-	जी.एस.टी. (12%&18%)	13200552.42	8550632.65			3-	फ्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	1142494.00	369712.00			4-	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज/सुपरवीजन चार्जस (10%)	7333640.23	4750351.47			5-	योग (1+2+3+4)	9,50,13,088.96	6,11,74,210.87			6-	उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि	33,91,58,407.61				7-	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्रो एकाउंट में प्रबन्ध निवेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण	2,60,71,383.56			
क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	34 th Payment Certificate / Bill Amount – Sept-2022	35 th Payment Certificate / Bill Amount – Oct-2022 (Adhoc Payment)																																																		
1-	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	73336402.31	47503514.75																																																		
2-	जी.एस.टी. (12%&18%)	13200552.42	8550632.65																																																		
3-	फ्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	1142494.00	369712.00																																																		
4-	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज/सुपरवीजन चार्जस (10%)	7333640.23	4750351.47																																																		
5-	योग (1+2+3+4)	9,50,13,088.96	6,11,74,210.87																																																		
6-	उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि	33,91,58,407.61																																																			
7-	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्रो एकाउंट में प्रबन्ध निवेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण	2,60,71,383.56																																																			
2/ लखनऊ	ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा की गयी मूल संस्तुति के क्रम में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि माह सितम्बर-2022 का बिल ओ०एम०एण्ड एम० सेल को दिनांक 18.11.2022 को उपलब्ध कराया गया है जिसका परीक्षण ओ०एम०एण्डएम० सेल द्वारा किया जा चुका है। फर्म ने ओ०एम०एण्ड एम० सेल के परीक्षणोपरान्त संस्तुति के अनुसार भुगतान का अनुरोध किया गया जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सहमति दी गयी। ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संशोधित संस्तुति निम्नवत् है:-	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. स.</th><th>पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण</th><th>33th Payment Certificate/ Bill Amount July-2022 (Rs.) (Balance Amount)</th><th>34th Payment Certificate/ Bill Amount-August 2022</th><th>35th Payment Certificate/ Bill Amount-Sept 2022</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि</td><td>17687978.30</td><td>62736292.70</td><td>6,49,29,067.36</td></tr> </tbody> </table>				क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	33 th Payment Certificate/ Bill Amount July-2022 (Rs.) (Balance Amount)	34 th Payment Certificate/ Bill Amount-August 2022	35 th Payment Certificate/ Bill Amount-Sept 2022	1	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	17687978.30	62736292.70	6,49,29,067.36	समिति द्वारा धनावंटन की संस्तुति तथा मुख्य अभियन्ता (ल०क्ष०), उ०प्र० जल निगम (नगरीय)/नगर आयुक्त एवं महाप्रबन्धक, जलकल को अनुबंध के अनुरूप एवम् नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।																																					
क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	33 th Payment Certificate/ Bill Amount July-2022 (Rs.) (Balance Amount)	34 th Payment Certificate/ Bill Amount-August 2022	35 th Payment Certificate/ Bill Amount-Sept 2022																																																	
1	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	17687978.30	62736292.70	6,49,29,067.36																																																	

एजेंडा सं	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना					समिति द्वारा दिये गये निर्देश
2	जी.एस.टी. (12%&18%)	4051972.23	11292532.69	1,16,87,232.12		
3	पर्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	0.00	1117229.00	6,66,843.00		
4	उ०प्र० जल निगम को देय सेंट्रेज / सुपरवीजन चार्जस (10%)	1768797.83	6273629.27	64,92,906.74		
5	घोग (1+2+3+4)	2,35,08,748.36	8,14,19,683.66	8,37,76,049.22		
6	उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि			18,87,04,481.24		
7	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एसक्रो एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण			1,32,64,453.12		
3/ आगरा	ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा की गयी मूल संस्तुति के क्रम में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि माह सितम्बर-2022 व अक्टूबर-2022 का बिल ओ०एम०एण्ड एम० सेल को क्रमशः 11.10.2022 व दिनांक 11.11.2022 उपलब्ध कराया गया है जिसका परीक्षण ओ०एम०एण्डएम० सेल द्वारा किया जा चुका है। फर्म ने ओ०एम०एण्ड एम० सेल के परीक्षणोपरान्त संस्तुति के अनुसार भुगतान का अनुरोध किया गया जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सहमति दी गयी। ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संशोधित संस्तुति निम्नवत् है:-					समिति द्वारा धनावंटन की संस्तुति तथा मुख्य अभियन्ता (आ०क्ष०), उ०प्र० जल निगम (नगरीय)/नगर आयुक्त एवं महाप्रबन्धक, जलकल को अनुबंध के अनुरूप एवम् नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
	क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल का विवरण	32 nd Payment Certificate/ Bill Amount July-2022 (Rs.) (Balance Amount)	33 rd Payment Certificate/ Bill Amount August-2022 (Rs.)	34 th Payment Certificate/ Bill Amount Sept-2022 (Rs.)	35 th Payment Certificate/ Bill Amount Oct-2022 (Rs.)
1-	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	7694772.51	29304523.66	3,10,29,223.88	3,15,36,241.84	
2-	जी.एस.टी. (12%&18%)	1679506.15	5274814.26	55,85,260.30	56,76,523.53	
3-	पर्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	0.00	0.00	0.00	0.00	

एजेंडा सं०	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना					समिति द्वारा दिये गये निर्देश
4-	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज/ सुपरवीजन चार्जस (10%)	769477.25	2930452.37	31,02,922.39	31,53,624.18	
5-	योग (1+2+3+4)	1,01,43,755.91	3,75,09,790.29	3,97,17,406.57	4,03,66,389.56	
6-	उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि			12,77,37,342.32		
7-	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एसको एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण			1,97,76,093.75		
4 / गोरखपुर	ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा की गयी मूल संस्तुति के क्रम में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से फर्म द्वारा अनुरोध करते हुये अवगत कराया गया कि माह सितम्बर-2022 का बिल ओ०एम०एण्ड एम० सेल को उपलब्ध कराया गया है। फर्म द्वारा अनुबंध के सेक्शन-VI वलॉज-6.6 के अनुसार 75 प्रतिशत भुगतान करने का अनुरोध किया गया, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सहमति दी गयी।					समिति द्वारा धनावंटन की संस्तुति तथा मुख्य अभियन्ता (गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (नगरीय)/नगर आयुक्त एवं महाप्रबन्धक, जलकल को अनुबंध के अनुरूप एवम् नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संशोधित संस्तुति निम्नवत है:-						
क्र. सं.	पैमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल का विवरण	34 th Payment Certificate / Bill- July, 2022	35 th Payment Certificate / Bill- August, 2022	36 th Payment Certificate / Bill- Sept- 2022(Adhoc Payment)		
1	पैमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	7688642.42	8917647.52	9057697.89		
2	जी०एस०टी० (12%&18%)	1126478.05	1605176.55	1630385.62		
3	फ्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	907110.30	448007.00	0.00		
4	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज/ सुपरवीजन चार्जस (10%)	768864.24	891764.75	905769.79		
5	योग (1+2+3+4)	1,04,91,095.01	1,18,62,595.82	1,15,93,853.30		
6	उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि		3,39,47,544.13		(GST Rs. 4362040.22 + Centage Rs. 2566398.78)	

एजेण्डा सं	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश																					
	<p>7 मैजर रिप्लेसमेंट फण्ड के सापेक्ष माह सितम्बर-2022 तक लम्बित कुल धनराशि 2,50,84,419.74</p> <p>8 आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्ट्रो एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण 2,50,84,419.74</p> <p>9 अवशेष धनराशि जिस हेतु उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा नोटिस जारी करके फर्म से जमा कराया जाना है (रु०) 0.00</p>																						
(v), (vi), एवं (vii)	<p>ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा की गयी मूल संस्तुति के क्रम में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य सचिव द्वारा अनुरोध करते हुये अवगत कराया गया कि लखनऊ पैकेज का विधुत बिल ओ०एम०एण्ड एम० सेल को उपलब्ध कराया गया हैं जोकि As per actual हैं तथा उ०प्र० जल निगम के सम्बंधित परियोजना प्रबन्धक द्वारा परीक्षणोपरान्त व संस्तुति के साथ प्रेषित हैं। सदस्य सचिव द्वारा विधुत बिल पर धनावंटन हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सहमति दी गयी।</p> <p>ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संशोधित संस्तुति निम्नवत् है:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र०स०</th><th>जोन का नाम</th><th>आवंटित की जाने वाली धनराशि</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>आगरा जोन</td><td>1,91,58,814.86</td></tr> <tr> <td>2</td><td>गाजियाबाद जोन</td><td>11,68,91,747.12</td></tr> <tr> <td>3</td><td>लखनऊ जोन</td><td>8,12,03,927.00</td></tr> <tr> <td>4</td><td>गोरखपुर जोन</td><td>30,16,011.42</td></tr> <tr> <td colspan="2">महायोग</td><td>22,02,70,500.40</td></tr> </tbody> </table> <p>ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा एजेण्डा i से vii तक की संशोधित संकलित संस्तुति संलग्न है (संलग्नक-1)।</p>	क्र०स०	जोन का नाम	आवंटित की जाने वाली धनराशि	1	2	3	1	आगरा जोन	1,91,58,814.86	2	गाजियाबाद जोन	11,68,91,747.12	3	लखनऊ जोन	8,12,03,927.00	4	गोरखपुर जोन	30,16,011.42	महायोग		22,02,70,500.40	समिति द्वारा धनावंटन की संस्तुति तथा संबंधित मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (नगरीय)/नगर आयुक्त/महाप्रबन्धक, जलकल/अधिशासी अधिकारी को अनुबंध के अनुरूप एवम् नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
क्र०स०	जोन का नाम	आवंटित की जाने वाली धनराशि																					
1	2	3																					
1	आगरा जोन	1,91,58,814.86																					
2	गाजियाबाद जोन	11,68,91,747.12																					
3	लखनऊ जोन	8,12,03,927.00																					
4	गोरखपुर जोन	30,16,011.42																					
महायोग		22,02,70,500.40																					
viii	उक्त के अनुसार उ०प्र० जल निगम को अनुबंध की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की दर से सेन्टेज का भुगतान किये जाने के संबंध में समिति सुविचारित निर्णय लेना चाहें।	समयभाव के कारण निर्देश दिये गये कि आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाए।																					
ix	वन सिटी वन ऑपरेटर की दिनांक 23.10.2021 को अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देशों के	समिति द्वारा धनावंटन की संस्तुति तथा मुख्य																					

एजेंडा सं	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना			समिति द्वारा दिये गये निर्देश																			
	अनुपालन में गोरखपुर पैकेज हेतु मेजर रिलेसमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत कराये गये निम्न तीन कार्यों की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुये मुख्य अभियन्ता (नागर), उ०प्र० जल निगम (नगरीय) लखनऊ के पत्र के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जो निम्नवत् है:-			अभियन्ता (गो०क्ष०), उ०प्र० जल निगम (नगरीय)/नगर आयुक्त/महाप्रबन्धक, जलकल को अनुबंध के अनुरूप एवम् नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th><th>मु०अभि० (नागर) का पत्रांक</th><th>कार्य का विवरण</th><th>लागत (रु० में)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>1896 / नागर-२ / ०३३ वन सिटी वन ऑपरेटर दिनांक 01.09.2022</td><td>Supply, installation, commissioning & testing of 01 no. DG set at 3 mld IPS nayaghat in Ayodhya</td><td>6,60,000.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>1998 / नागर-२ / ०३३ वन सिटी वन ऑपरेटर दिनांक 01.09.2022</td><td>Supply, installation, testing & commissioning of 01 no. pump (476.00 m³/hr) in existing 30 MLD SPS at Paidleganj, Gorakhpur</td><td>3,88,319.00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>1897 / नागर-२ / ०३३ वन सिटी वन ऑपरेटर दिनांक 01.09.2022</td><td>Supply, installation, testing & commissioning of Revamping work of chlorination unit 12 mld STP Ramghat, Ayodhya</td><td>15,50,000.00</td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL</td><td>25,98,319.00</td></tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	मु०अभि० (नागर) का पत्रांक	कार्य का विवरण	लागत (रु० में)	1	1896 / नागर-२ / ०३३ वन सिटी वन ऑपरेटर दिनांक 01.09.2022	Supply, installation, commissioning & testing of 01 no. DG set at 3 mld IPS nayaghat in Ayodhya	6,60,000.00	2	1998 / नागर-२ / ०३३ वन सिटी वन ऑपरेटर दिनांक 01.09.2022	Supply, installation, testing & commissioning of 01 no. pump (476.00 m ³ /hr) in existing 30 MLD SPS at Paidleganj, Gorakhpur	3,88,319.00	3	1897 / नागर-२ / ०३३ वन सिटी वन ऑपरेटर दिनांक 01.09.2022	Supply, installation, testing & commissioning of Revamping work of chlorination unit 12 mld STP Ramghat, Ayodhya	15,50,000.00	TOTAL			25,98,319.00		
क्र. सं.	मु०अभि० (नागर) का पत्रांक	कार्य का विवरण	लागत (रु० में)																				
1	1896 / नागर-२ / ०३३ वन सिटी वन ऑपरेटर दिनांक 01.09.2022	Supply, installation, commissioning & testing of 01 no. DG set at 3 mld IPS nayaghat in Ayodhya	6,60,000.00																				
2	1998 / नागर-२ / ०३३ वन सिटी वन ऑपरेटर दिनांक 01.09.2022	Supply, installation, testing & commissioning of 01 no. pump (476.00 m ³ /hr) in existing 30 MLD SPS at Paidleganj, Gorakhpur	3,88,319.00																				
3	1897 / नागर-२ / ०३३ वन सिटी वन ऑपरेटर दिनांक 01.09.2022	Supply, installation, testing & commissioning of Revamping work of chlorination unit 12 mld STP Ramghat, Ayodhya	15,50,000.00																				
TOTAL			25,98,319.00																				
	सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त तीनों कार्य स्वीकृति की प्रत्याशा में कराये जा चुके हैं जिनके भुगतान के लिये प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) से अनुमोदनोपरान्त, मुख्य अभियन्ता के पत्र के माध्यम से प्रेषित किया गया है। अतः उपरोक्त भुगतान गोरखपुर जोन (पैकेज-५) के अन्तर्गत एस्क्रो एकाउंट से किये जाने हेतु समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।																						
x	सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि गाजियाबाद शहर के सीवरेज कार्य के रखरखाव में सम्पूर्ण सीवर नेटवर्क का कार्य फर्म को एक बार में हस्तागत नहीं कराया गया था। सीवर नेटवर्क के रखरखाव हेतु सीवर लाइन को अलग-अलग फेज में फर्म को हस्तांरित किया गया था। इस सम्बन्ध में अनुबंध के Volume-I के Section-IV “Conditions of Contract” के कलॉज-21.1 में निम्नानुसार व्याख्या की गयी है परन्तु सीवर लाइन हैण्ड ओवर के संबंध में व्याख्या नहीं है:-			समिति द्वारा धनावंटन की संस्तुति तथा मुख्य अभियन्ता (गो०क्ष०), उ०प्र० जल निगम (नगरीय)/नगर आयुक्त/महाप्रबन्धक, जलकल को अनुबंध के अनुरूप एवम् नियमानुसार कार्यवाही																			
	“In Case, any particular STP of zone is not handed over to contractor on date of signing of the agreement due to any reason, contract value shall be																						

एजेण्डा सं०	ओ०एम०ए०ष्ट एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश
	<p>reduced of particular STP by an amount as distributed among the STPs of zone as per Condition of Contract, Section-IV, Clause 39 (I) payment certificates”.</p> <p>यदि सीवर लाइन के सम्बन्ध में उक्त व्याख्या लागू की जाती है तो उक्त धनराशि रु 1,60,88,207.82 की अधिक कटौती को फर्म को भुगतान करने की कार्यवाही की जा सकती है। प्राप्त बिल रु 1,60,88,207.82 के सापेक्ष रु 0 19,30,584.94 (जी०एस०टी०) व रु 0 16,08,820.78 (सेन्टेज) अर्थात् कुल रु 0 1,96,27,613.54 आंकित है।</p> <p>उपरोक्तानुसार धनावंटन हेतु संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि उपरोक्त व्याख्या सीवर लाइन पर भी लागू है जोकि उचित प्रतीत होती है।</p>	<p>करने के निर्देश दिये गये।</p>
xi	<p>वन सिटी वन आपरेटर कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्म मेसर्स तोशिबा वॉटर सॉल्यूशन प्रा०लि० द्वारा अपने पत्र संख्या TWS/CV/22-23/SMCG Package-5/Gorakhpur/201 Dt. 26.09.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि माह दिसम्बर-2021 के पश्चात् फर्म को डीजल के मद में कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है जिस कारण से फर्म को दिन-प्रतिदिन के संचालन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। फर्म ने अपने उक्त पत्र के माध्यम से डीजल मद में (माह जनवरी-2021 से अगस्त-2022) रु 0 56,96,339.00 की धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि डीजल के मद में व्यय की प्रतिपूर्ति फर्म को उ०प्र० जल निगम द्वारा प्रेषित बिलों के आधार पर की जाती है। उल्लेखनीय है कि डीजल का उपभोग विभिन्न यथा: एस०टी०पी० व पम्पिंग स्टेशन पर अधिष्ठापित डीजल जनरेटर सेट पर विद्युत कटौती के दौरान एस०टी०पी० व पम्पिंग स्टेशन के संचालन हेतु की जाती है।</p> <p>अग्रेतर अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा प्रारंभ से एस्क्रो एकाउंट में धनराशि जमा नहीं किये जाने के कारण फर्म के देयकों से 100 प्रतिशत की कटौती करनी पड़ी जिससे एस्क्रो एकाउंट के Backlog को पूरा किया जा सके। कटौती में डीजल के मद में व्यय को भी सम्मिलित किया गया।</p> <p>सदस्य सचिव द्वारा साथ ही अवगत कराया गया कि यदि विद्युत की आपूर्ति अनवरत हो तो डीजल मद पर व्यय नहीं होगा एवं साथ ही विद्युत मद के व्यय में बढ़ोत्तरी स्वभाविक है।</p> <p>उपरोक्त तथ्यों के आधार पर एवम् फर्म द्वारा गोरखपुर व अयोध्या (पैकेज-5) में कराये जा रह कार्यों के दृष्टिगत फर्म का अनुरोध उचित प्रतीत होता है। समिति के समक्ष प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</p>	<p>समिति द्वारा एजेण्डा बलहीन होने के कारण निक्षेपित करने के निर्देश दिये गये।</p>

एजेण्डा सं०	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश
xii and xiii	एजेण्डा अनुसार।	समयभाव के कारण निर्देश दिये गये कि आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाए।
xiv	<p>अन्य बिन्दू अध्यक्ष महोदय की अनुमति से</p> <p>अध्यक्ष महोदय ने विगत बैठक के अन्य बिन्दुओं में दिये गये Revenue Generation, Conferences / Training व Exposure visit के निर्देशों पर अनुपालन के संबंध में जानकारी चाही गयी।</p> <p>इस संबंध में सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया है गोरखपुर पैकेज के अतिरिक्त अन्य समस्त पैकेजों में 2 अक्टूबर, 2022 को विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज/शिक्षक संस्थाओं के विद्यार्थियों का Exposure visit कराया गया जिसका प्रचार प्रसार दैनिक समाचार पत्रों में भी किया गया। साथ ही अवगत कराया गया कि अनुबंध के सेक्शन-V के क्लॉज संख्या-6.12 में प्रतिवर्ष Inhouse Training व प्रति दो वर्ष में 5 सदस्यों की टीम का 07 दिवसों हेतु abroad Practical Training कराने का प्राविधान है जिसका समस्त व्यय फर्म द्वारा वहन किया जाना है।</p> <p>सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि विगत बैठक में Revenue Generation के विभिन्न विकल्पों यथा मत्स्य पालन, Horticulture, स्लज के Reuse तथा विद्युत उत्पादन पर कार्य करने के निर्देश प्रसारित किये गये थे जिस पर मुख्य अभियन्ता (नागर) उ०प्र० जल निगम (नगरीय) लखनऊ द्वारा आगरा में ओपन</p>	<p>अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रत्येक माह के दूसरे व चौथे सप्ताह में Exposure visit का आयोजन किया जाये तथा साथ ही जनवरी-2023 में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का Exposure visit कराया जाये जिससे एस०टी०पी० व सीवर के रखरखाव के बारे में जानकारी दी जा सके। साथ ही अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि Exposure visit हेतु online Registration की व्यवस्था दिसम्बर-2022 तक लागू कर दिया जाए। संबंधित फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि लखनऊ में 184, गाजियाबाद में 130 व आगरा में 93 विद्यार्थियों की Exposure visit वर्तमान तक करायी जा चुकी है। अध्यक्ष महोदय द्वारा National Level की तकनीकी Conference वर्ष में एक बार आयोजित करने तथा फर्म अपने कार्मिकों व विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों की तकनीकी प्रशिक्षण नियमित अंतराल पर कराये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही निर्देश दिये गये कि अनुबंध के क्लॉज-6.12 के अनुसार inhouse training व abroad practical training कराने का schedule व Program अगली बैठक में फर्म द्वारा प्रस्तुत किया जाए।</p> <p>कार्यवाही:-उ०प्र० जल निगम/संबंधित नगर आयुक्त/संबंधित फर्म।</p> <p>इसके अतिरिक्त STPs पर जनित स्लज की साइंटीफिक अध्ययन कर Revenue Generation की संभावनाओं पर कार्यवाही की जाए। स्लज से संबंधित साइंटीफिक अध्ययन की रिपोर्ट, रिपोर्ट का विश्लेषण एवं रिपोर्ट के आधार पर Revenue Generation की</p>

एजेण्डा सं	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश
	<p>स्पेस की कमी होने के कारण मत्स्य पालन के कार्य संभव नहीं होने की जानकारी दी गयी। साथ ही अवगत कराया गया कि सोलर ऊर्जा उत्पादन के प्राक्कलन की स्वीकृति हेतु प्र०नि०, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुयी है तथा कार्य निविदा की कार्यवाही उपरान्त कार्य शीघ्र ही पूर्ण किया जायेगा।</p> <p>साथ ही अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम मण्डल, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) गोरखपुर द्वारा अवगत कराया गया कि 30 व 15 एम०एल०डी० एस०टी०पी० पर सोलर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में किया जा रहा एवं वर्तमान में और अधिक सोलर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की संभावना नहीं है।</p>	<p>संभावनाओं पर अध्ययन कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।</p> <p>कार्यवाही:—उ०प्र० जल निगम/नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/कार्यदायी फर्म।</p> <p>अध्यक्ष महोदय द्वारा सोलर ऊर्जा उत्पादन के कार्य माह फरवरी—2023 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। साथ ही निर्देश दिये गये कि ट्रीटेड वॉटर के Reuse के Credible Solution अगली बैठक में फर्म द्वारा प्रस्तुत किया जाए।</p> <p>कार्यवाही:—उ०प्र० जल निगम/संबंधित नगर आयुक्त/संबंधित फर्म।</p> <p>इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्देश दिया गया कि फर्म द्वारा Innovative कार्यालय New Initiative की कार्य योजना आगामी बैठक में फर्म के शीर्षस्थ अधिकारियों (प्रबन्ध निदेशक स्तर के) के साथ मय प्रस्तुतीकरण प्रतिभाग करें।</p> <p>कार्यवाही:—उ०प्र० जल निगम/संबंधित नगर आयुक्त/संबंधित फर्म।</p> <p>अध्यक्ष महोदय द्वारा ओ०एम०एण्ड एम० सेल, संबंधित अधिकारी/अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, महाप्रबन्धक, जलकल व फर्म के प्रतिनिधियों को निर्देश दिये कि मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के माध्यम से Innovative कार्य कराने हेतु बैठक कर कार्ययोजना तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये। इस कार्य योजना हेतु अनुबंध की शर्तों के अनुपालन करने के भी निर्देश दिये गये।</p> <p>कार्यवाही:—ओ०एम०एण्ड एम० सेल/संबंधित अधिकारी/अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम/संबंधित महाप्रबन्धक, जलकल/संबंधित फर्म।</p> <p>साथ ही निर्देश दिये गये कि ऑनलाइन बिलिंग व मॉनीटरिंग की व्यवस्था लागू की जाये।</p> <p>कार्यवाही:—ओ०एम०एण्ड एम० सेल</p> <p>उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये</p>

एजेंडा सं०	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश
		<p>कि OCEMS प्रणाली के लागू होने के उपरान्त वन सिटी वन ऑपरेटर के माध्यम से संचालित STPs के ट्रीटेड एफ्लूएन्ट के पैरामीटर्स का OCEMS से प्राप्त रीडिंग से मिलान किया जाए।</p> <p>कार्यवाही:—उ०प्र० जल निगम/ओ०एम०एण्ड एम० सेल/संबंधित नगर आयुक्त।</p>

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त संबंधित शासनादेशों, अनुबंध की शर्तों का अनुपालन किया जाए तथा प्रभावी अनुश्रवण हेतु जलकल/उ०प्र० जल निगम द्वारा सीवर कार्यों का एवं एस०टी०पी०/पम्पिंग स्टेशन का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या प्रत्येक बिल के साथ प्रस्तुत किया जाए तथा शासनादेश संख्या—1958/नौ—9—22—89ज/2001 टी०सी०—1, नगर विकास अनुभाग—9 दिनांक 27.09.2022 के बिन्दु संख्या—5 का अनुपालन किया जाये।

(राजवीर सिंह)
सदस्य—सचिव
मुख्य अभियन्ता,
ओ०एम०एण्ड एम० सेल,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ

(अखिल सिंह)
सदस्य
उप/सहायक निदेशक (लेखा),
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ

सदस्य
सदस्य—सचिव
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ

(नेहा शर्मा)
सदस्य
निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०,
लखनऊ

(अनिल कुमार)
सदस्य,
प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० जल निगम (नगरीय),
लखनऊ

(अमृत अभिजात)
अध्यक्ष
प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ०प्र० शासन, लखनऊ

सदस्य सचिव/मुख्य अधिकारी ओ०एम० एण्ड एम० सेल की संकलित संस्कृति:- उपरोक्तानुसार एजेण्डा (i से vii) तक ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा की गयी संशोधित संस्कृति के अनुसार धनावंतन हेतु संकलित तालिका निम्नवत है जिसकी संस्कृति धनराशि आवंटित करने हेतु ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा की जाती है।

क्र. सं.	पेमेन्ट सार्टिफिकेट/ बिल का विवरण	गोरखपुर जोन	आगरा जोन	गाजियाबाद जोन	गाजियाबाद जोन (एजेण्डा-9)	गाजियाबाद जोन कुल	लखनऊ जोन	कुल
1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8	9=(3+4+7+8)
1	पेमेन्ट सार्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	2,56,63,987.83	9,95,64,761.89	26,42,63,974.26	1,60,88,207.82	28,03,52,182.08	14,53,53,338.36	55,09,34,270.16
2	जी०एस०टी० (12%&18%)	43,62,04.22	1,82,16,104.24	4,47,52,395.93	19,30,584.94	4,66,82,980.86	2,70,31,737.04	9,62,92,862.37
3	प्रूफ चॉर्जेस (As per actual Certified by UPJN)	13,55,117.30	-	37,15,640.00	-	37,15,640.00	17,84,072.00	68,54,829.30
4	उप्र० जल निगम को देय सेटेज / सुपरवीजन चार्जेस (10%)	25,66,398.78	99,56,476.19	2,64,26,397.43	16,08,820.78	2,80,35,218.21	1,45,35,333.84	5,50,93,427.02
5	घोग (1+2+3+4)	3,39,47,544.13	12,77,37,342.32	33,91,58,407.61	1,96,27,613.54	35,87,86,021.15	18,87,04,481.24	70,91,75,388.84
6	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्को एकाउंट में प्र०नि०, उप्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण	2,50,84,419.74	1,97,76,093.75	2,60,71,383.56	-	-	1,32,64,453.12	8,41,96,350.17
7	विद्युत बिल	30,16,011.42	1,91,58,814.86	11,68,91,747.12	-	-	8,12,03,927.00	22,02,70,500.40
8	उप्र० जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली कुल धनराशि (5+7)	3,69,63,555.55	14,68,96,157.18	45,60,50,154.73	1,96,27,613.54	47,56,77,768.27	26,99,08,408.24	92,94,45,889.24

J
(गोरख निवारी)
सहायक निवारी